"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 जून 2011—ज्येष्ठ 30, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2011

### आदेश

क्रमांक-एफ-7/न.पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/11/908.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 21 (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 37 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

| क्र. (1) | कार्यवाही (2) | संबंधित नियम (3) | निर्धारित तारीख एवं समय (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और | 21, 22 | 27-6-2011 सोमवार (i) पूर्वान्ह 10.30 बजे से |
| | (ii) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) | | (ii) पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक |
| | (iii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा) | 22 "क" | 27-6-2011 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से |
| | (iv) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) | 16 | 27-6-2011 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 2. | नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख | 21 (क) | 4-7-2011 सोमवार<br>अपरान्ह 3.00 बजे तक |
| 3. | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) | 21 (ख) | 5-7-2011 मंगलवार<br>पूर्वान्ह 10.00 बजे से |
| 4. | अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख | 21 (ग) | 7-7-2011 गुरुवार<br>अपरान्ह 3.00 बजे तक |
| 5. | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) | 31, 32 | 7-7-2011 गुरुवार<br>अभ्यर्थिता वापसी के बाद |
| 6. | मतदान (यदि आवश्यक हो)<br>i. नगर पंचायत चारामा के रिक्त वार्ड क्र. 4 तथा नगर पंचायत नारायणपुर के रिक्त वार्ड क्र. 1 के लिए<br>ii. शेष नगरीय निकायों तथा रिक्त पदों के लिए | 21 (घ) | 19-07-2011 मंगलवार<br>i. प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक<br>ii. प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक |
| 7. | मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) | 21 (ङ) | 22-7-2011 शुक्रवार<br>प्रात: 9.00 बजे से |

हस्ता./-

**(एस. के. तिवारी)**
उप-सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

## परिशिष्ट

| क्र. | जिला | नगरीय निकाय नाम |
|---|---|---|
| 1. | जांजगीर | नगर पंचायत नयाबाराद्वार के रिक्त वार्ड क्रमांक 7 |
| | चांपा | नगर पंचायत राहौद के रिक्त वार्ड क्रमांक 15 |
| 2. | कोरबा | नगर पालिक निगम कोरबा के रिक्त वार्ड क्रमांक 4 |
| 3. | रायगढ़ | नगर पंचायत सारंगढ़ (आम निर्वाचन) |
| 4. | दुर्ग | नगर पालिका परिषद् कुम्हारी के रिक्त वार्ड क्रमांक 3 |
| 5. | कबीरधाम | नगर पंचायत सहसपुरलौहारा के रिक्त वार्ड क्रमांक 11 |
| 6. | कांकेर | नगर पंचायत चारामा के रिक्त वार्ड क्रमांक 4 |
| 7. | नारायणपुर | नगर पंचायत नारायणपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक 1 |

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.